

न्यायालय: सिविल जज (जू0डि0), कोंच, जनपद जालौन।

मूलवाद सं0 290/2021

हरनरायन आदि प्रति रामशंकर आदि।

दिनांक 19.05.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र 13क1 पर सुना गया एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।

वादी द्वारा संशोधन प्रार्थनापत्र 13क1 प्रस्तुत कर संक्षेप में कथन किया गया है कि दौरान मुकदमा दिनांक 31.01.2022 को प्रतिवादी सं0 5 भोगीराम की मृत्यु हो गयी है, उनके वारिसान को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करते हुये व भोगीराम प्रतिवादी के पूर्व मृतक दौरान मुकदमा तहरीर करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र विधिक समय सीमा के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। ऐसी दशा में प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने के आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र 13क1 स्वीकार किया जाता है। वादी अविलम्ब संशोधन करें। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 16.08.2022 को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0), कोंच